पत्रांक-भवन-03/स्था0-विविध-10/2019......980 (अ)....../

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

दीपक कुमार साहु,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सभी अधीक्षण अभियंता (विद्युत सहित),
सभी कार्यपालक अभियंता (विद्युत सहित),
भवन निर्माण विभाग।

पटना, दिनांकः- 31.1.2020

विषयः- सेवानिवृत सरकारी सेवक/मृत सरकारी सेवक के सभी सेवान्तलाभों/मृत्यु-सह-सेवानिवृति लाभों के भुगतान के संबंध में।

प्रसंगः- वित्त विभागीय पत्रांक-05/वि0 दिनांक 06.01.2020 एवं सामान्य प्रशासन विभागीय पत्रांक-774 दिनांक 16.01.2020

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि सेवावधि में मृत कर्मियों के आश्रितों को मृत्यु-सह-सेवानिवृति लाभों के भुगतान एवं सेवानिवृत सरकारी सेवकों के सेवान्तलाभों की स्वीकृति के संबंध में निम्नलिखित कार्रवाई अविलम्ब की जानी हैः-

1. माननीय लोकायुक्त, बिहार, पटना के द्वारा दिनांक 15.11.2019 को पारित आदेश के आलोक में मृत पदाधिकारी/कर्मी के आश्रितों को सेवान्तलाभों के विलंबित भुगतान के स्थिति में आर्थिक कठिनाई को दृष्टिपथ में रखते हुये सेवावधि में मृत्यु के सभी मामलों में पेंशन स्वीकृति प्राधिकार यह सुनिश्चित करें कि मृत पदाधिकारी/कर्मी को मृत्यु-सह-सेवानिवृति लाभों का भुगतान अनिवार्य रूप से 03 (तीन) माह के भीतर कर दिया जाए।
2. पेंशन एवं सेवान्तलाभों के भुगतान के संबंध में वित्त विभागीय संकल्प संख्या-3014 दिनांक 31.07.1980 का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
3. लंबित सेवान्तलाभों की समीक्षा पाक्षिक/मासिक रूप से की जाए।
4. बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के अन्तर्गत किसी सेवानिवृत सरकारी सेवकों के सेवान्तलाभों की स्वीकृति में जान-बूझ कर किये गये विलंब को कदाचार मानते हुये, विलंब के लिए दोषी पदाधिकारी/कर्मचारी को चिन्हित कर उनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के प्रावधानों के तहत अनुशासनिक कार्रवाई/विभागीय कार्यवाही शुरू कर नियमानुसार दण्डित किया जाए।

अतः उपर्युक्त के आलोक में निदेश दिया जाता है कि सेवावधि में मृत कर्मियों के आश्रितों को मृत्यु-सह-सेवानिवृति लाभों/सभी सेवान्तलाभों के भुगतान एवं सेवानिवृत सरकारी सेवकों के सभी सेवान्तलाभों की स्वीकृति/भुगतान के संबंध में अविलम्ब वांछित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

विश्वासभाजन,

(दीपक कुमार साहु)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांकः- 980 (अ) पटना, दिनांक- 31.1.2020

प्रतिलिपिः-सभी मुख्य अभियंता (विद्युत सहित)/प्रभारी पदाधिकारी, राजपत्रित स्थापना/अराजपत्रित स्थापना एवं आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

E:/Sumit /Old and New Work Folder/Non-Gaztt-4 DRAFT-2018/Non-GAZZT.EST.doc